RR250189A7IN TVR:RR2250189A7
RI PINDWARA S.O (307022)
Counter No:1,12/02/2025,12:18
To:CHIEF MINISTER, BHAJAN LAL SHARMA
PIN:302006, Jaipur R.S. S.O
From:DALPAT SINGH ,KANTAL
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

RR250189619IN TVR:RR250189619
RI PINDWARA S.O (307022)
Counter No:1,12/02/2025,12:18
To:JILADHISH MAHODAY ,SIROHI
PIN:307001, Sirohi H.O
From:DALPAT SINGH ,KANTAL
Wt:20gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

सेवामे,

माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा
मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार
जयपुर

विषयः- कांटल गांव के स्कूल को माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं इस विद्या के मंदिर का सीमा ज्ञान करवाने बाबद

महोदय,

सविनय निवेदन है विधायक महोदय श्री समाराम जी गरासिया आप ने काटल गांव के बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर व मंत्री महोदय श्री बाबूलाल जी खराड़ी को लिखित पत्र देकर कांटल स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिए विधायक महोदय श्री समाराम जी गरासिया व एस टी मोर्चा प्रदेश सदस्य श्री धन्नाराम जी मीणा के अर्थक प्रयास से काटल गांव की स्कूल क्रमोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय करने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो सर इस विद्यालय को पाच बीघा स्कूल के लिए खसरा संख्या 433/3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांटल के नाम से पट्टा है और विद्यालय की भूमि में पक्के अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं उन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शक्ति से कारवाई कर अवैध अतिक्रमण स्कूल भूमि से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीमा ज्ञान कर अवैध अतिक्रमण हटाए जाएं विधायक महोदय श्री समाराम जी गरासिया व कांटल गौरव एस टी मोर्चा प्रदेश सदस्य महोदय श्री धन्नाराम जी मीणा आप दोनों से निवेदन है कि आप स्कूल की भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की कृपा करावे जिससे बच्चों के खेलने बैठने व पढ़ाई के लिए जो भूमि सरकार के द्वारा। 5 बीघा सरकारी भूमि आरक्षित की गई थी भूमि स्कूल को मिल सके और स्कूल प्रबंधन व ग्रामीणों ने जिला प्रशासन सिरोही को लिखित लिखित पत्र देकर अवगत कराया था लेकिन जिला प्रशासन सिरोही व ब्लाक शिक्षा अधिकारी महोदय ने स्कूल भूमि में सीमा ज्ञान करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब आप से हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्कूल के लिए जो 5 बीघा सरकारी भूमि आरक्षित की गई थी उस भूमि का सीमा ज्ञान करवाने के आदेश तत्काल प्रभाव से करवाने की कृपा करावे जिससे बच्चों के भविष्य निर्माण हो सके

भवदीय
Dalpat Singh
Mo. 9799400303

प्रतिः-

1 जिला कलेक्टर सिरोही महोदय, सिरोही
2 ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पिण्डवाडा
3 विधायक महोदय श्री समारामजी गरासिया
4 स्कूल प्रबंधन प्रधानाध्यापक, कांटल
5 PEO राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजारी
6 विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा
7 सरपंच लीलादेवी देवासी ग्राम पंचायत अजारी

प्रधानाचार्य
रा० उ० मा० विद्यालय
अजारी, जिला-सिरोही (राज.)

नीरू मीना
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अजारी
पं.स. पिण्डवाडा (सिरोही)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- कॉटल

पटवार हल्का :- अजारी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- अजारी

तहसील :- पिण्डवाडा

जिला :- सिरोही

सम्वत :- 2071 - 2074

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-बिस्वा

खाता संख्या नया :- 221

खाता संख्या पुराना :- 217

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :- रा.उ.प्रा.वि.कॉटल

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा मदेय लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
433/3	5	स्कूल	5				
572/1	2	खेल का मैदान	2				
कुल 2	7		7				
बन्धे -							

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 14/12/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 14/06/2016

NIC

30 वर्ष बाद कांटल गांव का विद्यालय उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत

पीड़ा ऐसी की विद्यालय क्रमोन्नत के लिए ग्रामीणों ने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से की मुलाकात

मरुधर आईना
www.marudharaaina.com

सिरोही । हडमत सिंह पंवार । पिंडवाड़ा के कांटल गांव में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने के आदेश जारी हुए। यह आदेश बीकानेर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा जारी किए गए है। इस आदेश में प्रदेशभर के 25 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। जिनमें सिरोही जिले के दो विद्यालय शामिल हैं ।

इनका कहना है

सिरोही जिले में दो विद्यालय का क्रमोन्नत लिस्ट में नाम आया है जिसमें रेवदर ब्लॉक की रा उ प्रा वि अवाड़ा और पिंडवाड़ा ब्लॉक की रा उ प्रा वि कांटल को कार्यालय शिक्षा विभाग बीकानेर ने आदेश जारी कर उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है, इससे स्थानीय गांव के बच्चों को 12वीं तक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

सुरेश प्रजापत,
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिंडवाड़ा

कांटल के ग्रामीणों ने कई बार मेरे मार्फत शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को स्कूल क्रमोन्नत के लिए ज्ञापन सौंपा। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर लेटर दिया था। अब रा उ प्रा वि कांटल क्रमोन्नत होने से बच्चों को गांव में ही 12वीं तक शिक्षा मिल पाएगी। खास कर बालिकाओं को अब अध्ययन के लिए 8वीं के बाद दूर अन्य विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

समाराम गरासिया,
आबू पिंडवाड़ा विधायक

मैंने आबू पिंडवाड़ा विधायक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को निजी मुलाकात कर गांव में पढ़ने वाले नौनिहाल भविष्य को देखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत को लेकर ज्ञापन दिए थे आज जब नई क्रमोन्नत विद्यालय की लिस्ट में राजकीय विद्यालय कांटल नाम देखा तो बहुत खुशी महसूस हो रही है इसके लिए आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विद्यालय क्रमोन्नत होने से विद्यालय की बालिकाओं को 12वीं तक शिक्षण मिल सकेगा।

धनाराम मीणा,
प्रदेश सदस्य एसटी मोर्चा कार्यकारिणी ।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांटल जो सन् 1975 से संचालित है जिसे 90 के दशक में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया था। पिछले 30 वर्षों से यह विद्यालय उच्च प्राथमिक के तर्ज पर संचालित हो रहा था जहां छात्र-छात्राएं आठवीं तक अध्ययन कर आगे पिंडवाड़ा जाने को मजबूर थे।

ग्रामीणों ने विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के लिए आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया समेत पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कई बार पत्र लिखे। विद्यालय प्रबंधन समिति ने बताया कि अब इस आदेश के साथ ग्रामीणों में खुशी की लहर है अब इससे गांव के बच्चों को 12वीं तक का अध्ययन मिल पाएगा।

कांटल गांव का विद्यालय उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत, ग्रामवासियों में खुशी की लहर

■ खबर मारवाड़

पिंडवाड़ा/ सिरोही। नगर के निकटवर्ती स्थित कांटल गांव में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने के आदेश जारी हुए। यह आदेश बीकानेर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। इस आदेश में प्रदेशभर के 25 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। जिनमें सिरोही जिले के दो विद्यालय शामिल हैं।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांटल जो सन् 1975 से संचालित है जिसे 90 के दशक में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया था। पिछले 30 वर्षों से यह विद्यालय उच्च प्राथमिक के तर्ज पर संचालित हो रहा था जहां छात्र-छात्राएं आठवीं तक अध्ययन कर आगे पिण्डवाड़ा जाने को मजबूर थे। ग्रामीणों ने विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के लिए आबू पिण्डवाड़ा विधायक समाराम गरासिया समेत पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कई बार पत्र लिखे। विद्यालय प्रबंधन समिति ने बताया कि अब इस आदेश के साथ ग्रामीणों में खुशी की लहर है अब इससे गांव के बच्चों को 12वीं तक का अध्ययन मिल पाएगा।

इनका कहना है..

● सिरोही जिले में दो विद्यालय का क्रमोन्नत लिस्ट में नाम आया है जिसमें रेवदर ब्लॉक की रा उ प्रा वि अवाड़ा और पिण्डवाड़ा ब्लॉक की रा उ प्रा वि कांटल को कार्यालय शिक्षा विभाग बीकानेर ने आदेश जारी कर उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है, इससे स्थानीय गांव के बच्चों को 12वीं तक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

सुरेश प्रजापत,
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिंडवाड़ा

● कांटल के ग्रामीणों ने कई बार मेरे मार्फत शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को स्कूल क्रमोन्नत के लिए ज्ञापन सौंपा। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर लेटर दिया था। अब रा उ प्रा वि कांटल क्रमोन्नत होने से बच्चों को गांव में ही 12वीं तक शिक्षा मिल पाएगी। खास कर बालिकाओं को अब अध्ययन के लिए 8वीं के बाद दूर अन्य विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

समाराम गरासिया,
विधायक आबू पिंडवाड़ा

● मैंने आबू पिण्डवाड़ा विधायक, शिक्षा मंत्री,मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों को निजी मुलाकात कर गांव में पढ़ने वाले नौनिहाल भविष्य को देखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत को लेकर ज्ञापन दिए थे आज जब नई क्रमोन्नत विद्यालय की लिस्ट में राजकीय विद्यालय कांटल नाम देखा तो बहुत खुशी महसूस हो रही है इसके लिए आबू पिण्डवाड़ा विधायक समाराम गरासिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विद्यालय क्रमोन्नत होने से विद्यालय की बालिकाओं को 12वीं तक शिक्षण मिल सकेगा।

धनाराम मीणा,
प्रदेश सदस्य एसटी मोर्चा
कार्यकारिणी

सरपंचों को जारी करना होगा नोटिस, रजिस्टर में दर्ज करानी होगी शिकायत

पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाए तो नपेंगे सरपंच-वीडीओ

राज्य सरकार ने दिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश

सिरोही। गांवों में अक्सर पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रहती है। इससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिसके तहत अब पंचायतों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में सरकार ने तीन दिन पूर्व आदेश जारी कर प्रदेश की सभी पंचायतों के सरपंचों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि सरपंच पंचायतीराज कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करें। यदि सरपंच ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर सरकार के स्तर पर सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा कि पंचायतों के स्वामित्व की आबादी व खातेदारी भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। इन पर ग्राम पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि अब सरपंच अतिक्रमण हटाने के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

करवाना होगा सर्वे, तीन पंचों की बनेगी समिति : आदेश के अनुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जनवरी और जुलाई में आबादी, तालाब-तल और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में किए गए ऐसे अतिक्रमण का ब्योरा ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा।

पहले देंगे नोटिस, फिर हटाएंगे अतिक्रमण : सर्वे में अतिक्रमण की जानकारी पुख्ता होने पर सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखल करने का नोटिस जारी करना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पंचायत या सदस्य या सचिव के ध्यान में लानी होगी। यही नहीं सरपंच को तुरंत अतिक्रमण रोकना होगा। अन्यथा अतिक्रमी के खर्चे व हर्जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

गोचर में अतिक्रमण के मामलों की तहसीलदार को देनी होगी रिपोर्ट

यदि ग्राम पंचायत की राय हो कि अतिक्रमण का विनियमन करने से नियम-146 में उल्लेखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो बाजार कीमत पर भूमि आवंटित कर सकेंगे। इसके अलावा पंचायतों में मौजूद चरागाह या तालाब तल पर अतिक्रमण के मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को देनी होगी। ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पुलिस की इमदाद ले सकती है। पंचायत को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तहसीलदार ने चरागाह अतिक्रमी पर रोपित शास्तियों की राशि पंचायत निधि में जमा करवाई है या नहीं। अवहेलना पर संबंधित सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ाबूरोड सिरोही SUNDAY पत्रिका प्राइम

राजस्थान पत्रिका . सिरोही , रविवार, 25 फरवरी, 2024

शिवगंज . पिण्डवाड़ा . माउंट आबू . सरूपगंज . रेवदर . मंडार . पोसालिया . जावाल

सिरोही के 8, पाली जिले के 8 और जालोर के 19 स्कूलों व खेल मैदानों में लोगों ने कर रखा है अतिक्रमण

सरकारी विद्यालयों व खेल मैदानों पर कब्जा, रिपोर्ट मांगी तो हकीकत आई सामने

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

खेल मैदानों, विद्यालयों व कार्यालय में अतिक्रमण होने को लेकर विभाग ने मांगी जानकारी

सिरोही. प्रदेश के कई राजकीय विद्यालयों, खेल मैदानों और कार्यालय परिसरों की भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। कई जगह खेल मैदान अतिक्रमण की भेंट चढ़े हुए हैं, जिससे खिलाड़ियों को खेलने तक को जगह नहीं है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से हाल ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को लेकर जब सभी स्कूलों में हो रहे अतिक्रमणों की जानकारी मांगी तो हकीकत सामने आई। विभाग ने अतिक्रमण की जद में आए विद्यालयों व खेल मैदानों की सूची मांगी है। सिरोही जिले में ऐसे 8, पाली जिले में भी 8 और जालोर जिले में 19 विद्यालय अभी तक चिह्नित किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ विद्यालयों की भूमि पर तो 40 साल से अधिक समय से लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके बावजूद उनको हटाने के लिए कोई विशेष कार्रवाई आज तक नहीं की गई है।

हर माह किया जाएगा रिव्यू

विद्यालयों व स्कूल खेल मैदानों आदि में अतिक्रमण को लेकर संस्था प्रधानों को शाला दर्पण पोर्टल पर स्थिति अपडेट करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर हर माह के पहले सोमवार को रिव्यू किया जाएगा। जो मामले न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। उनको लेकर चरणबद्ध तरीके से अब तक प्रकरण की अलग-अलग पत्रावली संधारित करनी होगी। जिससे कभी भी वह पत्रावली मांगने पर उपलब्ध करवाई जा सके।

निष्पादन समिति की बैठक में रखने होंगे मामले

जो अतिक्रमण के मामले न्यायालय में प्रक्रियाधीन नहीं है। उन मामलों को जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से निष्पादन समिति की बैठक में रखना होगा। इसके बाद जिला प्रशासन का सहयोग लेकर अतिक्रमण हटवाना होगा। पाली जिले में सामने आए 8 अतिक्रमण के मामलों में से तीन मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

सिरोही जिले में यहां अतिक्रमण

- महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भीमगिरी बस्ती कैलाशनगर के खेल मैदान पर 300 वर्ग फीट
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेरा छिलपुर के खेल मैदान में 5 बीघा भूमि पर
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर आबूरोड के खेल मैदान में 100 गुणा 200 फीट
- महात्मा गांधी राजकीय तोरणा ढूंढाई आबू पर्वत में 1200 वर्ग फीट-स्कूल मैदान व 1000 वर्ग फीट पर खेल मैदान पर
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुंदवाड़ा के खेल मैदान में 3 बिस[illegible]
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दताणी के खेल मैदान में 4 बीघा में
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारजा के खेल मैदान में 1 बीघा[illegible]
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मगरीवाड़ा में आंशिक अतिक्रमण हटा दिया गया